

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2015/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक: 12/01/2018

महानिदेशक,
आरडीएसओ,
लखनऊ।

(दूरसंचार परिपत्र सं: 1/2018)

विषय: गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएस) के लिए सीयूजी सिम का प्रावधान।

संदर्भ: आपका दिनांक 05/09/2017 और 17-18/10/2017 का पत्र सं. एसटीएस/ई/टीसीएस/वॉल.XVII.

टीसीएस, ट्रेन सुरक्षा से संबंधी प्रणाली होने के कारण व्यय मूल्यांकन की आवश्यकता के बिना भारतीय रेल में गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएस) के लिए सीयूजी सिम के प्रावधान हेतु रेल मंत्रालय का अनुमोदन एतद्वारा संसूचित किया जाता है।

2. टीसीएस के लिए सीयूजी सिम नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार दिए जाएंगे:

- 1) प्रत्येक स्टेशनरी टीसीएस यूनिट - 2 अदद/स्टेशन।
- 2) प्रत्येक लोको टीसीएस यूनिट - 2 अदद/लोको।
- 3) प्रत्येक टेस्ट बेंच यूनिट - 2 अदद/टेस्ट बेंच।
- 4) नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली यूनिट - 2 अदद
- 5) मोबाइल सुरक्षा निरीक्षण यूनिट - 1 अदद/यूनिट।

3. कार्य की प्रगति के दौरान होने वाला व्यय कार्य में प्रभृत होगा। कार्य की समाप्ति पर आवर्ती व्यय राजस्व में प्रभृत होगा।

4. इंजनों में प्रदान किए गए सीयूजी सिम राष्ट्रीय सीयूजी के अनुसार होंगे क्योंकि इंजन पूरे भारत में चलते हैं। जहां सीयूजी नेटवर्क कवरेज कम है, वहाँ क्षेत्रीय रेलों द्वारा पर्याप्त नेटवर्क सिगनल क्षमता सेवा प्रदाता की सिम लगाई जाएगी। सिम का व्यय प्रति कनेक्शन ₹ 200/- होगा। सिम का उपयोग केवल टीसीएस उपकरणों में ही किया जाएगा।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

6. कृपया पावती दें।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/दूरसंचार

ईमेल: dtele@fb.railnet.gov.in

फोन नं. 011-23388504

नई दिल्ली, दिनांक: 12/01/2018

सं. 2015/टेली/11(2)/1

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- i) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें।
- ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

रुंटाप

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- i) एफ(एक्स)II एवं बजट शाखाएँ, रेलवे बोर्ड
- ii) प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- iii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/दूरसंचार